समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम तथा अ धकारियों द्वारा हनुमान ताल में वृक्षारोपण

रतलाम 14 जुलाई । हनुमान ताल क्षेत्र को हरियाली से आच्छदित कये जाने हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तमए पु लस अधीक्षक श्री गौरव तिवारीए सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी संहए अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भड़ेए निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य अ धकारियों द्वारा बुधवार सुबह हनुमान ताल परिसर में वृक्षारोपण कया गया।
वृक्षारोपण के दौरान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आम नागरिकों से भी अनुरोध कया क जिले में अ धका धक हरीतिमा के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। वृक्ष हमारे जीवन के लए सर्वा धक महत्वपूर्ण है।
उपसंचालक उद्यानिकी श्री पी.एस. कनेल ने बताया क हनुमान ताल परिसर में व भन्न प्रजातियों के लगभग 5 हजार वृक्षों का रोपण कया जाएगा। इनमें बोगनवे लयाए क्रोटनए कनेरए गुलाबए चांदनीए मोगराए मधुए का मनीए गोल्डन डूरंटाए गुड़हलए ड्रे संना आदि सम्मि लत है। इसके अलावा रोड के दोनों कनारों पर भी शोभायमान पौधे रो पत कए जाना है।
इस दौरान डप्टी कलेक्टर सुश्री शराली जैनए सुश्री कृतिका भीमावदए सुश्री मनीषा वास्कलेए जिला योजना अ धकारी श्री बालकृष्ण पाटीदारए ईईआरइएस श्री अनूप मश्राए उपसंचालक कृ ष श्री ज्ञान संह मोहनियाए जिला शक्षा अ धकारी श्री के.सी. शर्माए कार्यक्रम अ धकारी महिला बाल वकास वभाग श्री रजनीश सन्हाए परियोजना अ धकारी डूडा श्री अरुण पाठकए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए नगर निगम के इंजीनियर सर्वश्री सुरेश व्यासए मोहम्मद हनीफ शेखए जी.के. जायसवालए सत्यप्रकाश आचार्यए अर वन्द दशोत्तरए मनीष तिवारीए वकास मरकामए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह आदि ने भी वृक्षारोपण कया।

गंगासागर परिसर में भी होगा पौधा रोपण

रतलाम में चालू वर्षा सत्र में वृह्द स्तर पर वृक्षारोपण कया जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की पहल पर नेशनल हाईवे डपार्टमेंट भी 10 ह्जार पौधे लगाने वाला है। नेशनल हाईवे रतलाम शह्र के गंगासागर क्षेत्र में स्थित नगर निगम फल्टर प्लांट परिसर में वृक्षारोपण करेगा। इसके लए बुधवार प्रातः कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कया। इस दौरान पु लस अधीक्षक श्री गौरव तिवारीए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षी संह्ए अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भड़ेए निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारियाए निगम स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह भी उपस्थित थे।

बंजली में निर्माणाधीन पीएम आवासों का निरीक्षण

कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने पु लस अधीक्षक श्री गौरव तिवारीए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षी संह्ए अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भड़ेए निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ बंजली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तह्त निर्माणाधीन फ्लेटों का निरीक्षण कया व कार्य में गति लाये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा आयुष्मान कार्ड श वरों का निरीक्षण

पात्र हितग्राहियों के अ धक से अ धक कार्ड बनाने के दिये निर्देश

 श वर के प्रथम दिन 199 आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 14 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु वार्डवार उ चत मूल्य की दुकानों पर लगाये जा रहे श वर का अवलोकन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के साथ कर अ धक से अ धक हितग्राहियों कार्ड बनाने के निर्देश गठित दल के अ धकारी एवं कर्मचारियों

को दिये। वार्डवार उ चत मूल्य की दुकानों पर आयोजित कये गये श वरों के तहत प्रथम दिन 199 आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61ए रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान वनोबा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डारए वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुराए वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में लगाये गये वशेष श वर का अवलोकन कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान उ चत मूल्य की दुकानें के कुल राशन कार्ड व सदस्यों की जानकारी ली साथ ही यह भी जानकारी ली क उनकी दुकान में कौन-कौन से वार्डो सम्मि लत है। जानकारी प्राप्त करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क उ चत मूल्य की दुकानों के संबं धत वार्डो में उद्घोषणा करवाकर व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ ही सूची अनुसार हितग्राहियों को दूरभाष से बुलाये जाने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाये।

15 जुलाई को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61ए रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान वनोबा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डारए वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुराए वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में श वर आयोजित कये जायेंगे।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम वभाग में संपर्क करें

रतलाम 14 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

ष्याम कबाड़ी पर 5000 का जुर्माना

रतलाम 14 जुलाई । दिलीप नगर क्षेत्र में श्याम कबाड़ी द्वारा गंदगी व अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह ने संबं धत पर 5000 का जुर्माना कर भ वष्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

14 जुलाई को 93 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 14 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे्र चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 14 जुलाई बुधवार को 93 टन कचरा जुलवानिया टे्र चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

14 जुलाई बुधवार को डम्पर व टे्रक्टर ट्रॉली से 57960ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15165ए काम्पेक्टर गीला कचरा 14270 व मैजिक 5653 कलो इस तरह कुल 93048 कलो कचरा जुलवानिया टे्र चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1074 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 14 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 14 जुलाई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1074 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 15 जुलाई को सैलाना रोड क्षेत्र से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को

अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

सफाई कार्य में अब दिखने लगा है सुधार

कार्य के फोटो व्हाट्स एप डालने का हुआ असर

रतलाम 14 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था में ओर अ धक सुधार लाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के फ्लेक्स लगाने व कार्य की फोटो व्हाट्स एप डालने से अब प्रातःकाल से साथ-साथ दोपहर पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य मुस्तैदी से कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई संरक्षकए वार्ड दरोगाए झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अ धकारी के नामए मोबाईल

नम्बर का फ्लेक्स लगाया गया साथ ही कये गये कार्य के फोटो प्रतिदिन व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश के तहत सफाई कार्य में सुधार आया है। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने में नागरिक भी सहयोग करें ता क स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बन सकें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्दे शत कया है क वार्डो में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन कये जा रहे कार्यो की फोटो पृथक-पृथक शफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप ग्रुप ष्मैं बनाऊंगा रतलाम नम्बर 1ष् में भेजंे फोटो के आधार पर ही संब धत कर्मचारी का वेतन भुगतान कया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्दे शत कया क वार्डो में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06ः30 व 11ः00 बजे व द्वतीय शफ्ट में दोपहर 02ः30 व सांय 05ः30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन कया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान कया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला वभाग के ल पक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5ः30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्दे शत कया है क वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संब धत के वरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान वभाग के मा लयों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06ः00 व 11ः00 बजे व द् वतीय शफ्ट में दोपहर 02ः30 व सांय 05ः30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होने निर्दे शत कया क जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 14 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए

पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क दोनो पालयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशत कया है क वे प्रतिदिन प्रमाणत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालयों आदि समुचत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/14ण07ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.